न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 168/2016

रामचन्द्र बनाम मंगनी व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

समक्ष

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

उपस्थित :—

1. श्री अजीत सिंह — वादी अभिभाषक
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी — प्रतिवादी संख्या 7 के अभिभाषक

आदेश

दिनांक 23/07/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दिनांक 10.08.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा उक्त उनवानी वाद सन 2016 में अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रतिवादिया संख्या 1 के पक्ष में किये गए विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2014 को शून्य घोषित कराने बाबत् उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत कानूनन चलने योग्य नहीं होने से एवं उपरोक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिज योग्य है। विपक्षी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पेज नंबर 3 के बिन्दु संख्या 10 में वादी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त आराजी को प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अवैध रूप से बिना किसी हक अधिकार के बेचान कर दिया गया इसलिए उपरोक्त विक्रय पत्र की प्रार्थना में बिन्दु संख्या 2 इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अवैध रूप से बिना किसी हक अधिकार के बेचान कर दिया गया इसलिए उक्तरोक्त विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार वाद पत्र की प्रार्थना में बिन्दु संख्या 2 इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के द्वारा फर्जी तथा अविधिक राजस्व इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किये गए विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जावे। जो कि अपने आप में वाद पत्र को पढने से यह जाहिर होता है कि विपक्षी ने प्रतिवादिया संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत काबिल खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक को दी गई। वादी अभिभाषक के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा चौसाला खसरा नंबर 192 जिसके वर्किंग 182 जिसके आधार खसरा नंबर 376 रकबा 0.82 हैक्टेयर तथा चौसाला खसरा नंबर 204 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 193 जिसके आधार खसरा नंबर 385 रकबा 0.25 हैक्टेयर तथा 384/3328 रकबा 0.10 हैक्टेयर स्थित ग्राम रामनेर ढाणी बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार चौसाला जमाबंदी के अनुसार श्रीमती ऐजन पत्नी स्व. श्री बींजालाल जाति अग्रवाल निवासी सरदार सिंह की ढाणी थी जिसके द्वारा उक्त आराजीयात बाबत वादी के पिता के हक में दिनांक 13.03.1979 को दो गवाहान यथा श्री नौरत तथा श्री मांगीलाल के समक्ष वसीयतनामा निष्पादित कर दिया गया जिससे श्रीमती ऐजन देवी के दिनांक 30.12.1982 को स्वर्गवास के बाद श्री जवारा तत्पश्चात वादी बहैसियत वसीयती वारिस/खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। श्रीमती ऐजन द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता उमर खां पुत्र श्री मुबारिक खां को विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य आराजीयात दिनांक 11.06.1974 को विक्रय की थी लेकिन विवादित भूमि का विक्रय भूमि का विक्रय कभी भी नहीं किया गया है फिर भी उमर खां द्वारा चौसाला खसरा नंबर 192 व 204 जिनके वर्किंग खसरा नंबर 182 व 193 मुर्तिब किये गए को अवैधानिक रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसके स्वर्गवास होने पर उसके वारिसानों द्वारा विरासत के नामांतरकरण बाबत प्रयास किया गया जो विवादित भूमि विक्रय नहीं करने कारण दिनांक 20.05.2006 को निरस्त कर दिया गया लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 द्वारा पुनः नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 22.04.2014 को स्वीकृत करवा कर विवादित भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को बेचान कर दी गई जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि श्रीमती ऐजन द्वारा विक्रय नहीं करने के बावजूद अवैधानिक प्रविष्टि की आड में प्रतिवादिया संख्या 1 के हक में विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2014 को अवैधानिक रूप से निष्पादित कर दिया।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

जो विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर द्वारा श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय भू–अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट अजमेर को जारी पत्र क्रमांक भू.अ./2023/1210 दिनांक 07.02.2023 से स्पष्ट सिद्ध होकर उक्त विक्रय बध्न्न प्रतिवादिया संख्या 1 प्रथम दृष्टया शून्य है एवं शून्य विक्रय पत्र निष्पादित होने पर इस बाबत कृषि आराजीयात से संबंधित वाद पत्र सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र यह अंकित किया गया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार विद्वान सिविल न्यायालय का है जो कतई गलत है क्योंकि विद्वान सिविल न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार है लेकिन यदि विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है तो ऐसे शून्य विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर की गई बहस का मनन करने तथा तथ्यों का अवलोकन करने व प्रस्तुत दृष्टान्तों को गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि वादी ने वाद के अंतर्गत अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 द्वारा फर्जी तथा अविधिक राजस्व इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किए गए विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया जाए। चूंकि पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अतः वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड़)
सहायक कलेक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक अजमेर